उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-75/2019/1044/92-2-19-10जांच/2013

लखनऊ:: दिनांक:: 16 मई,2019

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-गाजीपुर में पूर्वान्चल विकास निधि (जिलांश) योजनान्तर्गत विकास खण्ड-करण्डा में आकुंशपुर सम्पर्क मार्ग से सकरा राजेन्द्र राम के घर तक शून्य से लेपन स्तर का कार्य कराये जाने में की गयी अनियमितता हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जॉच आख्या दिनांक 09-10-2013 में पर्यवेक्षणीय दायित्वों का भली भांति निर्वहन न करने व शिथिल नियंत्रण हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री के0जे0 अहमद, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0 वि0, प्रखण्ड-गाजीपुर से शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-137/92(प्रकोष्ठ)/2014-10जांच/2013 दिनांक 10-04-2014 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत की गयी। श्री अहमद के पत्र दिनांक 25-06-2014 द्वारा अपना पक्ष शासन में उपलब्ध कराया गया।

2- अपचारी अधिकारी, श्री के0जे0 अहमद के विरूद्ध निर्गत कारण बताओ नोटिस, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री के0जे0 अहमद, तत्का0 प्रभारी अधिशासी अभियंता पर पर्यवेक्षणीय दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से न करना पाये जाने पर उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 10-04-2014 द्वारा प्रचलित स्पष्टीकरण के प्रकरण को कार्यालय ज्ञाप संख्या-138/2017/880/92-2-17-10जांच/2013 दिनांक 09-08-2017 द्वारा वर्ष 2016-17 के लिये परिनिन्दा का दण्ड देते हुये समाप्त कर दिया गया है।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी, श्री के0जे0 अहमद के पत्र सं0-373/व्य0प0/पत्र0-के0जे0 अहमद/डा0लो0से0/2017-18 दि0 10-08-2017 द्वारा प्रत्यावेदन शासन में उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री अहमद द्वारा यह उल्लिखित किया गया कि कार्य कराये जाने के समय दिनांक 11-10-2010 से 10-12-2010 तक उनके अर्जित अवकाश स्वीकृत होने पर अपना समस्त कार्यभार श्री राशिमणि मिश्र, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया को सौपे जाने एवं अवकाश समाप्ति के उपरान्त उनके द्वारा दि0 10-12-2010 को कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में योगदान किया गया। उनके द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य न तो कराया गया और न ही कोई भुगतान किया गया। उक्त तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त श्री अहमद पर अधिरोपित आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-08-2017 द्वारा निर्गत दण्डादेश को समाप्त/विलोपित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन

अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-75/2019/1044/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

2- श्री के0जे0 अहमद, तत्का0 प्रभारी अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-गाजीपुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।